न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविर:— दादाई
दिनांक :— 27.06.2018

कन्याबाई वगेरह बनाम राजुसिंह वगेरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रा.पत्र संख्या 47 / 2012

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु
018	वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। भूमिधारी तहसीलदार बाली उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार बाली भूमिधारी को सुना गया। तथा मजमा–ए–आम में पुछताछ किये जाने पर जाहिर हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 राजुसिंह पुत्र जावंतसिंह दिनांक 04.06.2013 को फौत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 भंवरलाल दिनांक 05.03.2018 को फौत हो चुका है। दोनों ही मृत प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के कायम मुकाम आदिनांक रेकार्ड पर नहीं है एवं न ही वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी 1 व 5 के कायम मुकाम वारिसान का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 जो पांच वर्ष पूर्व फौत हो चुका है, उसके फौत होने की सूचना आजतक पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत दादाई के जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 13.06.2013 जो प्रतिवादी संख्या 1 तथा 21.03.2018 जो प्रतिवादी संख्या 5 के मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दादाई द्वारा जारी किये गये है की डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की गई। जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के फौत हो जाने एवं नियत अवधि में उनके कायम मुकाम की सूचना रेकार्ड पर उपलबध नहीं होने से उक्त वाद का उपशमन (abate) हो जाता है। अतः वाद वादी जरिये उपशमन (abate) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी	